UPHR010068692025

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ०टी०सी० (14 वां वित्त आयोग), हरदोई।

सिविल अपील संख्या–55/2025

सर्वेश सिंह बनाम नरेन्द्र सिंह

17.07.2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र 15 क अन्तर्गत आदेश 23 नियम–1, 2 सिविल प्रक्रिया संहिता

1. पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 15 क पेश हुई। प्रार्थना पत्र 15 क पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विगत तिथि पर विस्तारपूर्वक सुना जा चुका है।
2. प्रार्थना पत्र 15 क समर्थित शपथ पत्र 16 क, प्रार्थी/अपीलकर्ता सर्वेश सिंह की ओर से अन्तर्गत आदेश 23 नियम–1, 2 सिविल प्रक्रिया संहिता इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दीवानी वाद सं0–609/2011 दायर करते समय कुछ आज्ञापक अभिकथन अंकित नहीं किए जा सके, दावा में फॉर्मल दोष उत्पन्न हो गया है। फलतः दावा कुप्रभावित होगा और दावा दायर किये जाते समय वादी के पिता मौजूद थे उन्हे पक्ष योजित नहीं किया जा सका। अन्य साक्ष्य जो सुसंगत हैं, को अपील के स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में दावा को वापस लेना उपयुक्त है। दावा वापसी का अधिकार वादी को है। अपीलार्थी के द्वारा याचना की गई है कि दीवानी वाद सं0–609/2011, आइन्दा नालिश के अधिकार सहित वापस किया जावे।
3. उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध आपत्ति 17 क प्रस्तुत कर उत्तरदाता/आपत्तिकर्ता नरेन्द्र सिंह के द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र असत्य कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वादी का वाद खारिज हो गया है अतः अब उसे वापस लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि उसके विरुद्ध Finding आ चुकी है। वाद में कोई भी फॉर्मल दोष नहीं है। अपील की स्टेज पर वाद वापस किये जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 व 2 में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र विधि के विपरीत एवं तथ्यों के प्रतिकूल है तथा निरस्त होने योग्य है अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।
4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।
5. पत्रावली के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि प्रस्तुत मामले के अपीलकर्ता के द्वारा विद्वान सिविल जज (जू0 डि0)/पश्चिमी/हरदोई के न्यायालय के समक्ष एक मूलवाद

Digitally signed by BHUPENDRA PRATAP
Date: 2026.07.17 16:45:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. सं–609/2011 सर्वेश सिंह बनाम नरेन्द्र सिंह, स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया था। उक्त मूलवाद में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष के द्वारा अपना समस्त साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा उभय पक्ष को सुनकर गुणदोष पर विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा निर्णय/डिक्री दिनांकित 30.09.2025 पारित करते हुए वादी का वाद सव्यय निरस्त कर दिया गया।
7. उक्त निर्णय/डिक्री दिनांकित 30.09.2025 के विरुद्ध वादी/अपीलकर्ता सर्वेश सिंह के द्वारा यह सिविल अपील संस्थित की गयी तथा मामले में अंतिम बहस के उपरान्त निर्णय के लिये पत्रावली सुरक्षित रख लिये जाने के उपरान्त वाद वापसी के अनुरोध के साथ यह प्रार्थना पत्र 15 क प्रस्तुत किया गया है।
8. अपीलार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। आदेश 23 सिविल प्रक्रिया संहिता में निम्नानुसार प्रावधानित किया गया है–

<u>आदेश 23 वादों का प्रत्याहरण और समायोजन</u>

<u>1. वाद का प्रत्याहरण या दावे के भाग का परित्याग</u> *(1) वाद संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय बादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा:*

परन्तु जहां बादी अवयस्क है या ऐसा व्यक्ति है, जिसे आदेश 32 के नियम 1 से नियम 14 तक के उपबन्ध लागू होते हैं वहां न्यायालय की इजाजत बिना न तो वाद का और न दावे के किसी भाग का परित्याग किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन इजाजत के लिए आवेदन के साथ वाद–मित्र का शपथपत्र देना होगा और यदि प्रस्थापित अवयस्क या ऐसे अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किया जाता है तो, प्लीडर को इस आशय का प्रमाणपत्र भी देना होगा कि परित्याग उसकी राय में अवयस्क या ऐसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए है।

(3) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि–

(क) वाद किसी प्ररूपिक त्रुटि के कारण विफल हो जाएगा, अथवा

(ख) वाद की विषय–वस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुज्ञात करने के पर्याप्त आधार हैं,

वहां वह ऐसे निबन्धनों पर जिन्हें वह ठीक समझे, वादी को ऐसे वाद की विषय–वस्तु या दावे के ऐसे भाग के सम्बन्ध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता रखते हुए ऐसे वाद से या दावे के ऐसे भाग से अपने को प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(4) जहां वादी–

(क) उपनियम (1) के अधीन किसी बाद का या दावे के भाग का परित्याग करता है, अथवा

(ख) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना बाद से या दावे के भाग से प्रत्याहृत कर लेता है,

वहां वह ऐसे खर्चे के लिए दायी होगा जो न्यायालय अधिनिर्णीत करे और वह ऐसी विषय–वस्तु या दावे के ऐसे भाग के बारे में कोई नया वाद संस्थित करने से प्रवारित होगा।

(5) इस नियम की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह न्यायालय को अनेक वादियों में से एक बादी को उपनियम (1) के अधीन बाद या दावे के किसी भाग का परित्याग करने या किसी वाद या दावे का अन्य बादियों की सहमति के बिना उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत करती है ।

9. प्रस्तुत मामले में अपीलकर्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र 15 क के शीर्षक में आदेश 23 नियम 1, 2 सिविल प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया है किन्तु प्रार्थना पत्र में यह याचना की गयी है कि दीवानी वाद सं0–609/2011, आइन्दा नालिश के अधिकार सहित वापस किया जावे। अर्थात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 उपनियम (3) प्रस्तुत किया गया है।

10. प्रार्थी/अपीलकर्ता के द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय कि विधि व्यवस्था **Prakash Chandra Mishra V. Rajendra Prasad Gupta, 2004 (97) RD 137** तथा **Jai Prakash V. Rajendra Prasad and Others, 2007 (66) ALR 145** प्रस्तुत की गयी हैं, किन्तु माननीय न्यायालय की उपरोक्त दोनों विधि व्यवस्थाएँ वाद लम्बित रहने के दौरान प्रस्तुत वाद वापसी प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में हैं, अपील स्तर पर वाद वापसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में उक्त विधि व्यवस्थाओं में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है अतः उक्त विधि निर्णय प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं होते हैं।

11. किसी दीवानी मूलवाद में विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा निर्णय/डिक्री पारित किये जाने के पश्चात अपील के स्तर पर वाद वापसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निम्नलिखित विधि निर्णयों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

12. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा विधि निर्णय ***Ram Palat Chaturvedi v. Chandra Bali Shastri*, 2007 SCC OnLine All 456 : (2007) 69 ALR 67** में यह अवधारित किया गया है कि– ***"11.*** *Under the provisions of Order XXIII, Rule 1 (1) of the Code of Civil Procedure, it is settled law that the plaintiff having paid the Court fees in a suit is dominus litus. The plaintiff has an absolute right to withdraw his suit at any time before the delivery of the Judgment and does not require any permission or order of the Court nor is subject to any condition since withdrawing the suit is a unilateral act on the part of the plaintiff and the withdrawal becomes effective as soon as it is moved, the Court may pass certain orders on the withdrawal application but they are not to give affect to the withdrawal but to give affect to the consequences arising out of the withdrawal as has been held by the Division Bench*

of this Court in the case of Sheikh Khalikuzzama (D) through L.Rs. v. Sheikh Akhtaruzzaman (D) [2004 (55) ALR 368.], and in the earlier Division Bench decision in the case of Smt. Raisa Sultana Begam v. Abdul Qadir [AIR 1966 Alld. 318.] . Similar view has been taken by the Hon'ble Supreme Court in the case of Hulas Rai Baij Nath v. Firm K.B. Bass and Co. [AIR 1968 SC 111.] . However, no fresh suit can be filed by the same parties for the same cause of action claiming the same relief except and unless the suit is withdrawn with permission to file a fresh suit and the second suit is not maintainable. However, the position would be different if the suit has already been decreed and thereafter a prayer for withdrawal of the suit is made in a pending appeal, because due to the said Judgment and decree certain rights and liabilities of the parties have accrued, then there is no unconditional right vested in the plaintiff to withdraw the suit before the Appellate Court and the withdrawal is subject to the discretion of the Appellate Court. This view has been endorsed by a Division Bench decision of this Court in the case of Vidhyadhar Dube v. Har Charan [AIR 1971 Alld 41.] , wherein it was held in para–6 that for withdrawing the suit when a decree has been passed and an appeal to the same has been preferred the Appellate Court may permit the plaintiff to withdraw the suit when by such withdrawal no vested or substantive right of the defendant is to be adversely affected but the plaintiff may not be permitted to withdraw the suit at the appellate stage if it results in depriving the defendant of some vested or substantive rights. It was further held that in the Appellate Court the appellant may be held to have an absolute right to withdraw the appeal by equating the words "suit", "plaintiff" and "defendants" occurring in Order XXIII, Rule 1 (1) of the Code with the words "appeal", "appellant" and "respondents" but he has no absolute right to withdraw the suit. The withdrawal of the appeal will not adversely affect the respondents if they have filed any separate appeal or cross objection as the same will remain unaffected. In Para–10 it has been held that at the stage of appeal, the plaintiff, if

he had filed the appeal has the right to withdraw the appeal but not the suit except with the leave of the Court."

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि निर्णय ***R. Rathinavel Chettiar v. V. Sivaraman, (1999) 4 SCC 89 : 1999 SCC OnLine SC 370 at page 93*** के पैरा–8, 12 एवं में यह अवधारित किया गया है कि–

"8. *The question in the present case is, however, a little different.* ***If the suit has already been decreed or, for that matter, dismissed and a decree has been passed determining the rights of the parties to the suit, which is under challenge in an appeal, can the decree be destroyed by making an application for dismissing the suit as not pressed or unconditionally withdrawing the suit at the appellate stage?*** *It is this question which is to be decided in this appeal.*

12. *What is essential is that the matter must have been finally decided so that it becomes conclusive as between the parties to the suit in respect of the subject–matter of the suit with reference to which relief is sought. It is at this stage that the rights of the parties are crystallised and unless the decree is reversed, recalled, modified or set aside, the parties cannot be divested of their rights under the decree. Now, the decree can be recalled, reversed or set aside either by the court which had passed it as in review, or by the appellate or revisional court. Since withdrawal of suit at the appellate stage, if allowed, would have the effect of destroying or nullifying the decree affecting thereby rights of the parties which came to be vested under the decree, it cannot be allowed as a matter of course but has to be allowed rarely only when a strong case is made out. It is for this reason that the proceedings either in appeal or in revision have to be allowed to have a full trial on merits.*

22. ***In view of the above discussion, it comes out that where a decree passed by the trial court is challenged in appeal, it would not be open to the plaintiff, at that stage, to withdraw the suit so as to destroy that decree.*** *The rights which have come to be vested in the parties to the suit under the decree cannot be taken away by withdrawal of the suit at that stage unless very strong reasons are shown that the withdrawal would not affect or prejudice anybody's vested rights. The impugned judgment of the High Court in which a contrary view has been expressed cannot be sustained."*

14. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा भी विधि निर्णय **Surendra & Anr. Vs. Additional District Judge/Special Judge, (SC/ST Act), & Ors., Neutral Citation No. – 2007:AHC:6289** में पुनः यह अवधारित किया गया है कि– *" In the present case, the Trial Court had adjudicated by determining the rights of the parties in respect of the matter in controversy and, therefore, unless the decree is reversed, recalled, modified or set aside, the parties cannot be divested of their rights accrued under the*

decree. ***Thus, if at the appellate stage the suit was allowed to be withdrawn with liberty to file a fresh suit, it would give the plaintiffs another inning as the Trial Court would be required to determine the rights afresh. The decisions referred to above, clearly hold that such a course cannot be permitted to be adopted."***

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपरोक्त विधि निर्णयों के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यदि अपील के स्तर पर वादी को ऐसे वाद की विषय–वस्तु या दावे के ऐसे भाग के सम्बन्ध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता रखते हुए ऐसे वाद से या दावे के ऐसे भाग से अपने को प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दी जाती है तो वादी को पुनः नयी पारी (inning) मिल जायेगी क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय को उभयपक्ष के अधिकारों का पुनः विनिश्चयन करना होगा तथा पूर्व निर्णय के परिणामस्वरूप जो अधिकार किसी पक्ष में निहित हो गया था वह उससे छिन जायेगा, जिसकी विधि अनुज्ञा प्रदत्त नहीं करती है।

16. प्रस्तुत मामले में भी मूलवाद सं–609/2011 सर्वेश सिंह बनाम नरेन्द्र सिंह, में विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा निर्णय/डिक्री दिनांकित 30.09.2025 पारित की जा चुकी है तथा उक्त निर्णय के फलस्वरूप प्रतिवादी के पक्ष में कतिपय अधिकार निहित हो चुके हैं। ऐसी दशा में यदि अपीलकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

17. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में प्रार्थी/अपीलकर्ता का प्रार्थना पत्र 15 क स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार होना नहीं पाया जाता है, प्रार्थना पत्र तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 15 क प्रार्थी/अपीलकर्ता तदनुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 23.07.26 को पेश हो।

दिनांक–17.07.2026

(भूपेन्द्र प्रताप)
अपर जनपद न्यायाधीश/FTC/14 वां वित्त आयोग
हरदोई।
ID No.–UP1813